सत्यमेव जयते

संख्या— /जी0एस0/शिक्षा/A4-22-3/2020

प्रेषक,

रमेश कुमार सुधांशु
सचिव श्री राज्यपाल।

सेवा में,

कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय,
देहरादून।

राज्यपाल/कुलाधिपति सचिवालय उत्तराखण्ड : **देहरादून : दिनांक : 11 फरवरी, 2020**

महोदय,

कृपया अपने पत्र संख्या 1555, दिनांक 16—08—2019 एवं पत्र संख्या 1551, दिनांक 16—08—2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2— तत्क्रम में यू0जी0सी0 विनियमों के अनुसार वर्ष—दर—वर्ष के आधार पर सम्बद्धता निर्गत किये जाने के निर्णय के क्रम में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि निरीक्षण मण्ड़ल, कुलसचिव व कुलपति, उ0त0वि0 की संस्तुति के दृष्टिगत उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय अधिनियम, 2005 (यथा संशोधित) की धारा—24(2) के अधीन निम्न संस्थान को उसके सम्मुख वर्णित पाठ्यक्रम, सीटों एवं अवधि की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण हेतु मा0 कुलाधिपति द्वारा पूर्व स्वीकृति/पुर्वानुमोदन निम्नवत् उपबन्ध के साथ प्रदान किया गया है :—

संस्था का नाम	पाठ्यक्रम का नाम	सीट संख्या	शैक्षिक सत्र
1	2	3	4
कुकरेजा इंस्टीट्यूट ऑफ फॉर्मास्यूटिकल साइंस, झाझरा, देहरादून	बी0फार्मेसी	100	2019—20

(1) कार्य परिषद इस सचिवालय से जारी पत्र दिनांक 26—04—2019 के अनुसार सत्र 2018—19 व इससे पूर्व के सत्रों की अस्थाई सम्बद्धता का निर्णय लेकर यथाशीघ्र आदेश निर्गत करने या न करने से मा0 कुलाधिपति जी को अवगत कराये।

(2) विश्वविद्यालय, संस्थान में कार्यरत फैकल्टी का अनुमोदन प्रमाण पत्र जारी करे और निरीक्षण मण्डल की संस्तुति के दृष्टिगत कार्यपरिषद, नियामक संस्थाओं के मानकों के पूर्ण होने की दशा में सत्र 2019—20 की अस्थाई सम्बद्धता विस्तारण के आदेश निर्गत करे व कृत कार्यवाई से मा0 कुलाधिपति जी को अवगत कराये।

3— अग्रेत्तर सत्रों के प्रस्ताव यथा समय सारिणी प्राप्त होने पर विचार किया जायेगा। तदनुसार अग्रेत्तर कार्यवाई सुनिश्चित की जाय।

भवदीय,

(रमेश कुमार सुधांशु)
सचिव श्री राज्यपाल।

संख्या— 3981 (1)/जी0एस0/शिक्षा/A4-22-3/2020 तद्दिनांकित।

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एंव आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित :—

1. अपर मुख्य सचिव, तकनीकी शिक्षा विभाग, उत्तराखण्ड शासन।
2. प्राचार्य/प्रबन्धक, उपरोक्त सम्बन्धित संस्थान/कॉलेज।
3. कम्प्यूटर प्रकोष्ठ/गार्ड फाईल हेतु।

आज्ञा से,

(विक्रम सिंह यादव)
संयुक्त सचिव श्री राज्यपाल।